राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
ग्रामीण विकास (अनुभाग–8) विभाग

क्रमांक प. 8 (4)ग्रावि/अनु. 8/2010/ जयपुर, दिनांकः

ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना

दिशा निर्देश – परिपत्र

1.0 प्रस्तावनाः–

1.1 राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए "**ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना**" वर्ष 2010–11 से प्रारम्भ करने की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में घोषणा के क्रम में लागू की जा रही है। योजनान्तर्गत विकास कार्यों का चयन जन समुदाय की आवश्यकता के अनुसार किया जाकर कार्य करवाये जायेंगे।

2.0 योजना का उद्देश्यः–

2.1 गांव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण।
2.2 रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन।
2.3 स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता को प्रोत्साहन।
2.4 सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन।
2.5 ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार।

3.0 योजना की विशेषताएँ

3.1 यह राज्य वित्त पोषित योजना है एवं केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू होगी।
3.2 इस योजना के तहत नवीन कार्य स्वीकृत किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में अन्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन/अपूर्ण कार्यों को इस योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जा सकेगा।
3.3 इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य का वित्त पोषण निम्नानुसार होगाः–

		राज्यांश	जन सहयोग
(i)	शमशान एवं कब्रिस्तान भूमियों की चारदीवारियों का निर्माण	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत
(ii)	अन्य कार्य		
	(अ) सामान्य क्षेत्र	70 प्रतिशत	30 प्रतिशत
	(ब) अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत

3.4 जनसहयोग की राशि का वहन स्थानीय समुदाय/सामाजिक संगठन/गैर सरकारी संस्था/ट्रस्ट/पंजीकृत संस्था/व्यक्तिगत दानदाता द्वारा किया जा सकेगा। जनसहयोग की राशि पंचायत समिति/जिला परिषद में नकद/ डिमान्ड ड्राफ्ट से जमा करायी जा सकेगी।

4.0 कार्यों के प्रस्तावः

4.1 इस योजना के अन्तर्गत शमशान एवं कब्रिस्तान भूमियों की चारदीवारियों का निर्माण प्रथम प्राथमिकता के रूप में कराये जावेंगे। इस श्रेणी के किसी भी कार्य का प्रस्ताव जिले में न होने पर ही स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी कार्य कराया जा सकता है, जिससे सामुदायिक परिसम्पत्तियों/सुविधाओं का सृजन हो एवं गांव में त्वरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

4.2 **योजनान्तर्गत नहीं कराये जा सकने वाले कार्य :–**

(अ) अनुदान एवं ऋण।
(ब) वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए परिसम्पत्ति।
(स) भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा।
(द) व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति।
(य) धार्मिक पूजा स्थल।
(र) योजना में जातिगत व धार्मिक आधार पर सामुदायिक भवन अनुमत नहीं होगें।

4.3 कार्यो की स्वीकृतियां आवंटित राशि की सीमा तक ही जारी की जावेगी ताकि कोई देनदारियां योजनान्तर्गत लम्बित नहीं रहे।

4.4 इस योजना के तहत प्रस्तावित कार्य, विकासात्मक प्रकृति एवं सामुदायिक उपयोग के होने पर स्वीकृत किये जायेंगे तथा टिकाउ परिसम्पतियों पर अधिक जोर दिया जावेगा। आवृत्ति व्यय हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी।

4.5 सृजित होने वाली परिसम्पत्ति का स्वामित्व राज्य सरकार/पंचायती राज संस्था में निहित होगा एवं उसका इन्द्राज पंचायत के परिसम्पत्ति रजिस्टर में करना अनिवार्य होगा।

5.0 जन सहयोगः–

5.1 निर्धारित जन सहयोग की पूर्ण राशि एक मुश्त ही स्वीकृति से पूर्व पंचायत समिति/जिला परिषद में जमा करानी होगी।

5.2 ग्राम वासियों द्वारा जन सहयोग नकद के रूप में ही दिया जावेगा ।

5.3 राजकीय विद्यालयों में ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजनान्तर्गत उसी विद्यालय के भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण के लिए योजना में देय निर्धारित जनसहयोग के पेटे छात्र निधि कोष का उपयोग किया जा सकेगा।

6.0 कार्यों की स्वीकृतिः–

6.1 निर्धारित जन सहयोग की वांछित पूर्ण राशि नकद के रूप में जमा हो जाने के पश्चात बजट की उपलब्धता द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों व निर्धारित

प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

6.2 ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजनान्तर्गत पंजीकृत कार्यों की स्वीकृति के लिए वरियता का आधार पंचायत समितिवार प्राप्त प्रस्तावों में से ही रखा जाये न कि जिले में प्राप्त प्रस्तावों की वरियता के आधार पर किया जावेगा।

6.3 योजनान्तर्गत जिले को आवंटित/स्वीकृत बजट का पंचायत समितिवार उपावंटन, इस योजनान्तर्गत पंचायत समितिवार प्राप्त प्रस्तावों के अनुपात के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा किया जावेगा।

6.4 यदि किसी पंचायत समिति में योजनान्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हों तो ऐसी स्थिति में राशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अन्य पंचायत समिति जिसमें योजनान्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त हैं, के कार्य प्रस्तावों की स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा जारी की जा सकेगी।

6.5 यदि ग्राम वासियों द्वारा जन सहयोग नगद के रूप में न दिया जाकर जन सहयोग की राशि के बराबर की लागत का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित हो तथा पंचायत समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया हो तो जिला कलक्टर कार्य की स्वीकृति जारी कर सकते हैं।

7 कार्यों का क्रियान्वयनः

सामान्यतया कार्य का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं/राजकीय विभागों द्वारा कराया जावेगा।

8.0 प्रबोधन व्यवस्था (Monitoring)

8.1 निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जावेगा।

8.2 इस योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला परिषद द्वारा योजनान्तर्गत अर्जित की जाने वाली प्रगति से प्रति माह निर्धारित प्रारूप में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को माह समाप्ति के बाद 7 दिवस में भिजवायी जावेगी तथा विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन फीड की जावेगी।

9.0 धनराशि का अवमोचन (Release)

9.1 राज्य स्तर से जिलों को राशि 2 किश्तों में जारी की जावेगी। प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत राशि बिना किसी शर्त के जारी की जावेगी। द्वितीय किश्त की राशि कुल उपलब्ध राशि (गत वर्ष के अवशेष + प्रथम किश्त की राशि) के 60 प्रतिशत उपयोग एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं सीए ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जावेगी।

9.2 यदि किसी जिले में अपेक्षित जन सहयोग राशि उपलब्ध नहीं है तो उस जिले की राशि राज्य सरकार द्वारा अन्य जिलों को जहां जन सहयोग की राशि उपलब्ध है वहां जारी की जा सकेगी।

10. पूर्णता प्रमाण पत्रः

निर्मित कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यकारी संस्थाओं के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप जारी किये जायेंगे।

11 अभिलेख/परिसम्पत्ति का ब्यौरा संधारणः

ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 के अनुरूप अभिलेख/परिसम्पत्तियों के ब्यौरे का संधारण किया जावेगा।

12 अंकेक्षण

योजना मद में दी जाने वाली व जन सहयोग राशि के लेखे का अंकेक्षण सनदी लेखाकार के द्वारा नियमानुसार करवाया जायेगा।
राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग उक्त योजना का प्रशासनिक विभाग होगा तथा जिला स्तर पर जिला कलक्टर व जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था होगी।

19/7/10
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. संभागीय आयुक्त, समस्त।
8. जिला कलक्टर, समस्त।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर।
10. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1)/आयोजना विभाग।
11. परि0 निदेशक एवं उप सचिव (समस्त), ग्रामीण विकास विभाग।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण प्रकोष्ठ), समस्त।

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मो. एण्ड मू.)